UPBS120002002015

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 202/2015

अशफाक अहमद बनाम शकीला बानो आदि

12.09.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सं० 4 ता 7 द्वारा वादोत्तर दाखिल नहीं किया गया है। अतः उनके वादोत्तर का अवसर समाप्त कर उनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की जाती है। पक्षकारों द्वारा वादबिन्दुओं के विरचन पर बल दिया गया। दौरान तर्क पक्षकारों से सुलह समझौते के बारे में पूछा गया, किन्तु अस्वीकार किए जाने की दशा में वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किए गए–

01. क्या वादीगण विवादित भूमि आराजी सं० 71 रकबा 0.049 हे० के जुज भाग अक्षरान च,ख,ग,छ प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र के मालिक व काबिज हैं?
02. क्या वादीगण विवादित भूमि अक्षरान च,छ,ख,ग प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र में स्थित निर्माण बुनियाद अक्षरान प,फ, शौचालय प,ख,ब,म, टीनशेड य,र,व,म तथा जुज भाग मकान अक्षरान ल,व,ह,र को ध्वस्त कराकर कब्जा दखल पाने के अधिकारी है?
03. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?
04. क्या वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
05. क्या दावा वादीगण कालबाधित है?
06. क्या प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
07. क्या वादीगण मौन स्वीकृति एवं विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है?
08. क्या दावा वादीगण प्रापर्ली प्रजेन्टेड एवं वेरीफाइड है?
09. क्या दावा वादीगण धारा 34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
10. क्या दावा वादीगण आदेश 7 नियम 3 व 11 जा०दी० से बाधित है?
11. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने के हकदार हैं?

उपरोक्त वादबिन्दुओं के अलावा न तो कोई वादबिन्दु बनता है, न ही पक्षकारों द्वारा किसी अन्य वादबिन्दु के विरचन पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं० 3 व 4 दिनांक 14.10.2022 को पेश हो। T.I. नियत तिथि तक स्वीकृत।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।